फर्द अहकाम

मूलाराम उर्फ मूल्या बनाम V/S राजेश्वर कौर ई

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र

39/2016

आज्ञा या...	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	04.4.18 वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी को जवाब प्रा०पत्र पेश करने के लिए दिनांक 7.4.16 से बार-बार अवसर दिये गये साथ ही जवाब हेतु कई अवसर न्यायहित में भी दिये जा चुके हैं परन्तु वकील अप्रार्थीगण द्वारा आज भी जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली व बहस वकील प्रार्थी सुनके के उपरांत न्यायहित में अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। तथा प्रकरण जवाब सबूत के नियत किया जाकर दिनांक 24.4.18 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।	
	उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	24.4.18 वकील उभयपक्ष उप०। पैरोकार साहबान उप० जवाब सबूत को अवसर न्याय पत्रावली वास्ते जवाब सबूत दिनांक 12-6-18 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।	
	उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	12.06.18	
	पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। उपस्थित पक्षकार मूलाराम	

फर्द अहकाम

झूलाराम वगैरह बनाम झूमा व शंकरलाल आदि

नाम न्यायालय: उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या: 39/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, जवाब प्रार्थना पत्र एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दावा मु.नं. 33/2016 बाबत दुरुस्ती इन्द्राज, रकबा बरारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के साथ पेश है। मूल वाद में दुरुस्ती एवं रकबा बरारी का तथ्य साक्ष्य विषयक प्रश्न है जिसके संबंध में दोनों पक्षों से साक्ष्य लिया जाना न्यायसंगत। वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण तक उभय पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं बढ़े इसके लिए दोनों पक्षों को ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पुरावाला के ख.नं. 52/0.01, 53/0.82 हैक्टे. के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखें। निर्णय मशरूहे आज कैम्प कोर्ट मैड में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) — मुहर)

(हस्ताक्षर)

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड — विराटनगर (जयपुर)